



# कार्यालय रांची नगर निगम, रांची

## अनुज्ञप्ति


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या : 029681  
दिनांक : 26-02-2016

श्री AKSHAT MISHRA पिता/पति का नाम NARENDRA KUMAR MISHRA  
वार्ड नं. 22 मुहल्ला RADIUM ROAD को रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत  
फर्म/प्रतिष्ठान का नाम ETERNAL ARCHITECTS प्लॉट नं. \_\_\_\_\_ गृह संख्या \_\_\_\_\_  
वार्ड 22 मुहल्ला / वाईलेन में RADIUM ROAD RANCHI  
व्यवसाय PROFESSIONAL ARCHITECTS के लिए निर्धारित शुल्क 2680.00/-  
(Two Thousand Six Hundred Eighty Rupees) रु० विविध रसीद सं. 8511241215105829  
दिनांक 26-02-2016 द्वारा प्राप्त कर वर्ष 2015-2016 के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

नोट :-

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. पत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा।
8. प्रतिष्ठान के सामने अवधि पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा फेंकना सुनिश्चित करेंगे।

  
निबंधन पदाधिकारी,  
रांची नगर निगम, रांची।

